झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम-2001 का सारांश

- झारखण्ड के किसी लोकसेवक की किसी कार्यवाही से पिड़ित पक्षकार अपनी शिकायत के लिए ऐसी कार्यवाही के बारह माह के अन्दर लोकायुक्त झारखण्ड को लिखित परिवाद दाखिल कर सकेगा।

- ''शिकायत'' से अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति का यह दावा कि कुप्रशासन के परिणामस्वरूप उसके साथ अन्याय हुआ है या उसे असम्यक कठिनाई हुई है।

- लोकसेवक के अलावा कोई भी व्यक्ति झारखण्ड के किसी लोकसेवक की किसी कार्रवाई के विरूद्ध अभिकथन का परिवाद लोकायुक्त झारखण्ड को ऐसी कार्रवाई घटित होने के पांच वर्ष के अन्दर दाखिल कर सकेगा।

- ''अभिकथन से किसी लोकसेवक के संबंध में अभिप्रेत है यह अभिपुष्टि कि-
  - ऐसे लोकसेवक ने अपनी ऐसी स्थिति का दुरूपोग करने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई लाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक हानि पहुंचाने या कठिनाई में डालने के लिए किया है:
  - ऐसा लोक-सेवक ऐसे लोकसेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वाहन करने में वैयक्तिक हित अथवा अनुचित भ्रष्ट हेतु से प्रेरित था, अथवा
  - ऐसा लोक-सेवक ऐसे लोक-सेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा में कमी का दोषी है ।

- ''लोकसेवक'' के अन्तर्गत अधिनियम में परिभाषित झारखण्ड राज्य के मंत्री, सचिव, तथा अन्य अधिकारी आते हैं। इसके अन्तर्गत अधिसूचित स्थानीय निकाय, निगम, सरकारी कम्पनी, पंजीकृत सोसाइटी तथा उनके प्रधान या उसके डिप्टी चाहें वह जिस पदनाम से जाना जाय सम्मिलित है।

- प्रत्येक परिवाद के समर्थन में शपथ पत्र संलग्न होना चाहिए।

- प्रत्येक परिवाद के साथ 4.70 रू0 का न्यायिक स्टाम्प शुल्क देय है।

- यदि लोकायुक्त उचित समझे तो पुलिस अभिरक्षा, जेल, पागलखाना या उन्मत व्यक्तियों के किसी अन्य शरण स्थान में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गये किसी पत्र को परिवाद मान सकेगा।

- अनुसंधान या साक्ष्यों के संकलन हेतु लोकायुक्त में सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ निहित हैं।

- अनुसंधान या मामले की कार्रवाई के प्रक्रम में लोकायुक्त या उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को प्राप्त सूचना गोपनीय मानी जाएगी।

■ किसी भी ऐसे परिवाद पर विचारण नहीं किया जायेगा यदि :-

▶ परिवाद लोकसेवक की नियुक्ति, उनका सेवा से हटाया जाना, वेतन या सेवा-शर्त्तों इत्यादि से संबंधित हो या अन्यथा विचारण से निषिद्ध है

▶ यदि परिवादी को किसी अधिकरण या विधि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के रूप में कोई उपचार प्राप्त है या था:

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि परिवादी को ऐसा उपचार प्राप्त था या है लोकायुकत अन्वेषण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त हेतुक से ऐसे उपचार का आश्रय नहीं ले सकता था या नहीं ले सकता है।

▶ लम्बित मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के अन्तर्गत कोई निर्देश, आदेश या रिट जारी किया हो ।